



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15072025-264679
CG-DL-E-15072025-264679

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 498]
No. 498]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 10, 2025/आषाढ़ 19, 1947
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 10, 2025/ASHADHA 19, 1947

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली 10 जुलाई, 2025.

सं. 5506/बीईई/एस&एल/आरआर/2025-26.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ट) और धारा 14 के खंड (ग) और (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (घ), (झ) और (ठ) द्वारा प्रदत्त व्यक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, संलग्न प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध उपकरणों के लिए अधिसूचित सभी विनियमों को निरसित करने के लिए निम्नलिखित विनियमों का प्रस्ताव करता है। प्रस्तावित मसौदा विनियम एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण में, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उपधारा (1) में यथाअपेक्षित, इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए और उनके सुझाव और आपत्तियां (यदि कोई हो) आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए जाते हैं; और एतद्वारा यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा विनियमों पर भारत के राजपत्र, असाधारण में उनके प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चतुर्थ तल, सेवा भवन, आर.के. पुरम, सेक्टर-1, नई दिल्ली-110066 को डाक द्वारा तथा ईमेल helpdesk@beeindia.gov.in पर भेजा जा सकता है।

उक्त मसौदा विनियमों के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा किसी भी व्यक्ति से उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आपत्तियों अथवा सुझावों पर विचार किया जाएगा।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन विनियमों को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और रीति) निरसन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **विनियमों का निरसन-** भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में प्रकाशित विनियम, जैसा कि प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट है, एतद्वारा निरसित किये जाते हैं।

3. **व्यावृति-** (1) इन विनियमों का निरसन-

(क) ऐसे किसी अन्य अधिनियमन अथवा विनियम को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें निरसित विनियम लागू किया गया है, शामिल किया गया है या संदर्भित किया गया है;

(ख) ऐसी किसी विधि सिद्धांत या नियम, या स्थापित क्षेत्राधिकार, अभिवचन के रूप या क्रम, अभ्यास या प्रक्रिया, या मौजूदा उपयोग, प्रथा, विशेषाधिकार, प्रतिवंध, छूट, कार्यालय या नियुक्ति को प्रभावित नहीं करेगा, वावजूद इसके कि उनकी एतद्वारा निरसित विनियम के द्वारा, में या से क्रमशः किसी भी रीति से पुष्टि की गई हो अथवा मान्यता दी गई हो अथवा व्युत्पत्ति की गई हो।

(ग) किसी अधिकार क्षेत्र, कार्यालय, प्रथा, दायित्व, अधिकार, उपाधि, विशेषाधिकार, प्रतिवंध, छूट, उपयोग, अभ्यास, प्रक्रिया या अन्य मामले या वस्तु, जो अब विद्यमान या लागू नहीं है, को पुनःप्रचलित या पुनःनिर्मित नहीं करेगा;

(घ) इस प्रकार निरसित किसी विधि के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन विधिवत् किए गए या सहन किए गए किसी कार्य को प्रभावित नहीं करेगा;

(ङ) इस प्रकार निरसित विनियम के अंतर्गत अर्जित, उपार्जित या वहन किए गए किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता को प्रभावित नहीं करेगा;

(च) इस प्रकार निरसित विनियम के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में लगाए गए किसी अर्थदंड, जब्ती या दंड को प्रभावित नहीं करेगा;

(छ) पूर्वोक्त किसी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, अर्थदंड, जब्ती या दंड के संबंध में किसी जांच, विधिक् कार्यवाही या प्रतिकार को प्रभावित नहीं करेगा, और ऐसा कोई भी जांच, विधिक् कार्यवाही या प्रतिकार आरम्भ किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी अर्थदंड, जब्ती या दंड लगाया जा सकता है, कि मानो यह विनियम बनाया ही नहीं गया था;

(ज) विनियम के प्रारंभ होने से पूर्व, इस निरसन अधीन विनियम के अंतर्गत लगाए गए, मूल्यांकित या संग्रहीत किए गए या लगाए जाने, मूल्यांकित या संग्रहीत किए जाने हेतु लक्षित किसी ड्यूटी या शुल्क को, विधि अनुसार वैध रूप से लगाया गया, मूल्यांकित या संग्रहीत किया गया माना जाएगा:

(2) उपधारा (2) में संदर्भित विशिष्ट विषयों का उल्लेख पक्षपाती अथवा निरसन के प्रभाव के संबंध में साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य अनुप्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा।

आकाश त्रिपाठी, महानिदेशक
[विज्ञापन-III/4/असा./231/2025-26]

प्रथम अनुसूची
निरसन

क्र.सं.	भारत के शासकीय राजपत्र में अधिसूचित विनियम का नाम	विनियम संख्या एवं अधिसूचना की तिथि
1.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (रेफिजरेटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2022	एफ.सं.बीईई/एस एंड एल/रेफ/70/2021-22 दिनांक 30 सितंबर, 2022
2.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2023	एफ.सं.बीईई/एस एंड एल/डब्लूएम/06/22-23 दिनांक 31 अक्टूबर 2023

3.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (रूम एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2017	एफ.सं.बीईई/एस एंड एल/एसी/37/2017-18 दिनांक 29 नवंबर 2017
4.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (चिलर्स के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2023	एफ.सं.बीईई/एस एंड एल/चिलर्स/40/2021-22 दिनांक 20 सितंबर, 2023
5.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (हल्के वाणिज्यिक एयर कंडीशनर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2023	एफ.सं.बीईई/एस एंड एल/एलसीएसी/37/2022-23 दिनांक 27 फरवरी, 2023
6.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (अल्ट्रा हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2023	एफ.सं. बीईई/एस एंड एल/यूएचडी/02/2022-23 दिनांक 3 मार्च, 2023
7.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (वितरण ट्रांसफार्मरों के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2009 और 29 दिसंबर 2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित।	एफ.सं. बीईई/एस एंड एल/डीटी/01/22-23 दिनांक 29 दिसंबर 2022
8.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (स्थिर भंडारण प्रकार के इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2016, 12 दिसंबर 2022 की अधिसूचना द्वारा संशोधित।	एफ.सं. बीईई/एस एंड एल/वाटर हीटर/3/2015-16 दिनांक 7 सितंबर 2016
9.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (क्लूब्युलर फ्लोरोसेट लैंप के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2023	एफ.सं. बीईई/एस एंड एल/टीएफएल/22-23 दिनांक 22 जून, 2023
10.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (सेल्फ-बैलास्टेड एलईडी लैंप के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2023	एफ.सं. बीईई/एस एंड एल/एलईडी/52/2023 दिनांक 22 जून, 2023
11.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (रंगीन टेलीविजन के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2016	एफ.सं. बीईई/एस एंड एल/सीटीवी/02/2016-17 दिनांक 26 मई, 2016
12.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (डीप फ्रीज़र के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2023	एफ.सं. बीईई/एस एंड एल/डीप फ्रीज़र/128/2022-23 दिनांक 31 जनवरी 2023
13.	ऊर्जा दक्षता व्यूरो (इलेक्ट्रिक सीलिंग टाइप पंखों के लेबल पर उनके प्रदर्शन का विवरण और पद्धति) विनियम, 2022	एफ.सं. बीईई/एस एंड एल/सीलिंग फैन/05/2019-20 दिनांक 19 मई, 2022

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 10 July, 2025.

No. 5506/BEE/S&L/RR /2025-26.—In exercise of the powers conferred by clause (d), (i) and (l) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (c) and (d) of Section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau of Energy Efficiency with the previous approval of the Central Government, proposes the following regulations to repeal all the Regulations notified for the appliances, as listed in the appended First Schedule. The proposed draft regulations are hereby published in the Gazette of India, Extraordinary, as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby and inviting their suggestions and objections (if any); and the notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date of their publication in the Gazette of India, Extraordinary.

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R. K. Puram, Sector-1, New Delhi-110066 through post and email at helpdesk@beeindia.gov.in.

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft notification before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

1. Short Title and Commencement.— (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels) Repeal Regulations, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Repeal of Regulations.— The Regulations, published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 as specified in the First Schedule are hereby repealed.

3. Savings.— (1) The repeal of the Regulations shall not—

- (a) affect any other enactment or Regulation in which the repealed Regulation has been applied, incorporated or referred to;
- (b) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognised or derived by, in or from any Regulation hereby repealed;
- (c) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;
- (d) affect the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder;
- (e) affect any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under this Regulation so repealed;
- (f) affect any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against this Regulation so repealed;
- (g) affect any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if this Regulation had not been made;
- (h) affect any duty, or fee levied, assessed or collected or purported to have been levied, assessed or collected under this Regulation under repeal, before the commencement of the Regulation, shall be deemed to have been validly levied, assessed or collected in accordance with law;

(2) The mention of particular matters referred to in sub-section (2) shall not be held to prejudice or affect the general application of section 6 of the General Clauses Act, 1897 with regard to the effect of repeal.

AKASH TRIPATHI, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./231/2025-26]

FIRST SCHEDULE
REPEALS

S.No	Name of Regulation Notified in the Official Gazette of India	Regulation No. & date of Notification
1.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Refrigerators) Regulations, 2022	F.No. BEE/S&L/Ref/70/2021-22 dated 30 th September, 2022
2.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/WM/06/22-23 dated 31 st October 2023
3.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Room Air Conditioners) Regulations, 2017	F.No. BEE/S&L/AC/37/2017-18 dated 29 th November 2017
4.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Chillers) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/Chillers/40/2021- 22 dated 20 th September, 2023
5.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Light Commercial Air Conditioners) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/LCAC/37/2022-23 dated 27 th February, 2023
6.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra High Definition Televisions) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/UHD/02/2022-23 dated 3 rd March, 2023
7.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Distribution Transformers) Regulations, 2009 and amended vide Notification dated 29 th December 2022.	F.No. BEE/S&L/DT/01/22-23 dated 29th December 2022
8.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Stationary Storage Type Electric Water Heater) Regulations, 2016 amended vide Notification dated 12 th December 2022.	F.No. BEE/S&L/Water Heater/3/2015-16 dated 7 th September 2016
9.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Tubular Fluorescent Lamps) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/TFL/22-23 dated 22 nd June, 2023
10.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self Ballasted LED Lamps) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/LED/52/2023 dated 22 nd June, 2023
11.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Color Televisions) Regulations, 2016	F.No. BEE/S&L/CTV/02/2016-17 dated 26 th May, 2016
12.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Deep Freezers) Regulations, 2023	F.No. BEE/S&L/Deep Freezer/128/2022-23 dated 31 st January 2023
13.	Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Electric Ceiling Type Fans) Regulations, 2022	F.No. BEE/S&L/Ceiling Fan/05/2019-20 dated 19th May, 2022